19/3 मु०न० सरकार जरिए तहसीलदार चौथकाबरवाड़ा बनाम रामनिवास वगै०
15/13

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/5/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। परिपत्र दिनांक 08.10.1985 की प्रति आदिनांक तक अप्राप्त है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा श्रीमान जिलाधीश महोदय के परिपत्र कमांक 40/राजस्व/85/6278 दिनांक 08.10.85 की पालना में नामान्तकरण संख्या 480 दर्ज किया जाकर रामनिवास, हनुमान पि0 भागोता, गोपाल पुत्र श्रीया कोम मीना सा.देह मजरा लक्ष्मीपुरा के बजाय माफी मन्दिर सीतादेवी वाके बरवाडा पुजारी धन्नालाल वल्द बिरधीचन्द ब्राहमण सा. बरवाडा के नाम राजस्व रिकार्ड मे अमल हुआ। उक्त नामान्तकरण संख्या 480 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील मु0नं0 34/2001 दर्ज होने पर निर्णय दिनांक 13.08.2001 द्वारा नामान्तकरण संख्या 480 के विरूद्ध पेश की गई अपील खारिज कर दी गई। अप्रार्थीगण द्वारा, उक्त निर्णय दिनांक 13.08.2001 की अपील श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर के यहां पेश की गई। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर के निर्णय दिनांक 16.02.2008 के द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 13.08.2001 को निरस्त कर प्रकरण में यह विवेचन किया कि **इस प्रकरण का अधीनस्थ न्यायालय ने पर्याप्त परीक्षण नहीं किया। संवत 2012 का कोई दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं लिया। जिलाधीश महोदय के परिपत्र को रिकार्ड पर नहीं लिया और न ही ऐसा कोई दस्तावेज रिकार्ड पर लिया जिससे यह विदित हो कि कभी यह कृषि भूमि किसी मन्दिर के नाम दर्ज रही हो। विवादित नामान्तकरण किस आधार पर खोला गया है यह भी स्पष्ट नहीं है। इस प्रकरण को पुनः परीक्षण एवं जांच के लिये पत्रावली न्यायालय हाजा को रिमाण्ड की गई।** श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर से पत्रावली रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर अपील मु0नं0 110/08 के द्वारा दर्ज की जाकर निर्णय दिनांक 25.03.2010 के द्वारा **प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर के निर्णय दिनांक 16.02.2008 में की गयी विवेचना के परिपेक्ष्य में परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु भिजवाया गया।** न्यायालय हाजा से रिमाण्ड होकर पत्रावली न्यायालय तहसीलदार चौथ का बरवाडा को प्राप्त होने पर उनके द्वारा प्रकरण मु0नं0 58/10 दिनांक 21.05.2010 के द्वारा दर्ज किया गया। प्रकरण में माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के निर्णय दिनांक 16.02.2008 की गयी विवेचना के परिपेक्ष्य में परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जानी थी किन्तु तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा उक्त निर्णय में यह अंकित किया है कि **"अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगणों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। अपीलार्थी द्वारा पर्चा खतौनी ग्राम गरडवास ठिकाना व तहसील सवाई माधोपुर के खाता सं0 72 की नकल प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार उक्त भूमि ठा0 रणवीरसिंह जी सा. बैड के खाते में दर्ज थी तथा भागोता बतौर उपकृषक दर्ज था। परिपत्र कमांक/40/राजस्व/85/6278 दिनांक 8.10.85 जिसके आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया गया है. किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ना ही किसी पक्ष द्वारा भूमि पूर्व में माफी मन्दिर की होने का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में यदि भूमि मन्दिर माफी की थी तो माफी का रेफरेन्स केस तैयार कर सक्षम न्यायालय में प्रेषित करना चाहिए थे तथा निर्णयोपरान्त तदानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित था। अतः ग्राम गरडवास के खसरा नम्बर 1479/3.25, 1481/0.40, 1482/0.19, 1483/2.62, 1484/0.04, 1485/0.43, 1488/0.40 कुल किता 7 रकबा 7.33 हैक्टेयर भूमि नामान्तकरण संख्या 480 के कालम 7 में दर्ज खातेदारान (यदि कोई फोत हो गये हो तो जायज वारिसान) के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते है, तथा पटवारी हल्का को उक्त भूमि का नियमानुसार रेफरेन्स केस तैयार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता है।"**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जजं	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

इस प्रकार तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा श्रीमान जिलाधीश के जिस परिपत्र दिनांक 8.10.85 के आधार पर उक्त भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी से माफी मन्दिर सीता देवी वाके बरवाडा पुजारी धन्नालाल वल्द बिरधीचन्द ब्राहमण सा. बरवाडा के नाम नामांतकरण भरा गया है, वह परिपत्र तहसील कार्यालय चौथ का बरवाडा की पत्रावलियों में उपलब्ध नही पाया गया है, ना ही तहसीलदार द्वारा यह परिपत्र उपलब्ध कराया गया है और ना ही किसी पक्ष के पास पाया गया तो फिर नामांतकरण संख्या 480 दिनांक 05.03.86 किस आदेश/परिपत्र के आधार पर माफी मंदिर के नाम भरा गया है।

इस प्रकार माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर के निर्णय दिनांक 16.02.2008 में की गई विवेचना के अनुसार तहसीलदार चौथ का बरवाडा को समस्त तथ्यों के विवेचन उपरान्त कार्यवाही हेतु पत्रावली रिमाण्ड की गई थी परन्तु तहसीलदार के स्तर पर न. तो तथ्यों का विवेचन किया गया तथा न ही समस्त दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया गया। तहसीलदार द्वारा एकतरफा कार्यवाही करते हुए नामान्तकरण माफी मंदिर के नाम से खातेदारों के पक्ष में खोला गया तथा नामान्तकरण खोलने के साथ ही रेफरेन्स बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार उक्त दोनो प्रक्रिया परस्पर विरोधाभासी है।

अतः उक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण अपूर्ण होने के कारण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे माननीय अतिरिक्त संभांगीय आयुक्त भरतपुर के निर्णय दिनांक 16.02.2008 में की गई विवेचना के परिपेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करे तथा परीक्षण उपरान्त उक्त प्रकरण यदि माफी मंदिर का होना पाया जाता है तो उपरोक्तानुसार वांछित दस्तावेजात की पूर्ति कर पुनः नये सिरे से रेफरेन्स प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करें।

तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा बिना परीक्षण किए तथा दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिए बिना माफी मंदिर की भूमि को नियम विरूद्ध अप्रार्थीगण के नाम दर्ज किया तथा साथ ही रेफरेन्स प्रकरण तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार चौथ का बरवाडा का उक्त कृत्य राजकार्य के प्रति घोर उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है। अतः तत्कालीन तहसीलदार चौथ का बरवाडा के विरूद्ध 15 दिवस के भीतर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु नियमानुसार प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर